

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक:- एफ 9 (71)परि/एसटीए/2016/मु./18899


जयपुर, दिनांक:- 17/9/18

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि लोक परिवहन सेवा के तहत विभिन्न मार्गों पर प्राप्त आवेदन पत्र वास्ते स्वीकार/सम्मिलित किये जाने के संबंध में समस्त मार्गों पर प्राप्त आवेदनपत्रों पर सुनवायी निम्न सूची के अनुरूप की जावेगी :-

क्रम संख्या	एकल मार्ग संख्या	मार्ग का नाम	आवेदन पत्र आमंत्रण दिनांक	सुनवायी की तिथि
1	89	RAJGARH-SAHWA	20-08-2018	03-10-2018
2	23	DEOLI-KOTA	20-08-2018	03-10-2018
3	340	KARANPUR-PADAMPUR	20-08-2018	03-10-2018
4	21	JAIPUR-KOTA	20-08-2018	03-10-2018
5	401	SHRIGANGANAGAR-KARANPUR	20-08-2018	03-10-2018
6	210	JAIPUR-BIKANER	20-08-2018	03-10-2018
7	6	ALWAR-JAIPUR	20-08-2018	03-10-2018
8	343	CC HEAD-LAKHUWALI	20-08-2018	03-10-2018
9	204	BIDASAR-SUJANGARH	20-08-2018	03-10-2018
10	235	SHAHपुरA-BEHROD	20-08-2018	03-10-2018
11	417	BEHROD-MANDAN	20-08-2018	03-10-2018
12	373	JAIPUR-ALWAR VIA DAUSA	20-08-2018	03-10-2018
13	420	ALWAR-MAHAVEERJI	20-08-2018	03-10-2018
14	221	Alwar-Govindgarh	20-08-2018	03-10-2018
15	428	Udaipur-Badisadri	20-08-2018	03-10-2018

अतः सभी आवेदककर्तागणों को सूचित किया जाता है कि इस विज्ञापित/सूचना में दर्शायी गयी सूचना के अनुसार प्रत्येक मार्ग के आवेदनपत्रों की सुनवायी उसके सम्मुख नियत तिथि 03-10-2018 को दोपहर 2:30 बजे सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार के कार्यालय के भू-गृह प्रथम परिवहन विभाग, सहकार मार्ग जयपुर पर की जावेगी। आवेदक स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि एवं अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होवे अन्यथा गुण-अवगुणों पर रिकॉर्ड के अनुसार निर्णय पारित कर दिये जायेंगे।


(आर.सौ. यादव)


सचिव

राज्य परिवहन प्राधिकार

क्रमांक:- एफ 9 (71)परि/एसटीए/2016/मु./18890-93 जयपुर, दिनांक:- 17/9/18

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु :-

1. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को विभागीय वेबसाईट पर अपडेट करने बाबत।
2. सचिव प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार अलवर, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, चित्तौडगढ, दौसा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, पाली, सीकर, उदयपुर को नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करने बाबत।
3. मुख्यालय नोटिस बोर्ड।
4. रक्षित पत्रावली।


सचिव

राज्य परिवहन प्राधिकार